न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–10/2019 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. लालाराम उर्फ रामफूल पुत्र दाहडा जाति मीना,
2. पूर्ण पुत्र दाहडा जाति मीना,
3. कमलेश पुत्र दाहडा जाति मीना,
4. श्रीराम पुत्र दाहडा जाति मीना,
5. महेश पुत्र दाहडा जाति मीना,
   क्रमांक 04 लगायत 05 नाबालिग बसरपरस्ती अणची माता खुद
6. काली पुत्री दाहडा जाति मीना,
7. गंगा पुत्री दाहडा जाति मीना,
8. अणची बेवा दाहडा जाति मीना,
9. कजोड पुत्र प्रभू जाति मीना,
10. मातादीन पुत्र प्रभू जाति मीना
    सभी निवासी मालूताना तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

..... अपीलांट्स

बनाम

1. महादेव पुत्र हनुमान जाति मीना,
2. जगदीश पुत्र हनुमान जाति मीना,
3. मीरा पुत्री हनुमान जाति मीना,
4. कैलाशी पुत्री हनुमान जाति मीना,
5. पूरणमल पुत्र हनुमान जाति मीना,
6. संतोष पुत्री हनुमान जाति मीना
   सभी निवासी मालूताना तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

..... असल रेस्पो0

7. सरकार जर्ये तहसीलदार भू स्वामी थानागाजी जिला अलवर राज0

..... तकमीली रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री अशोक कुमार मुदगल, अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–25.02.2021

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.09.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट बाबत तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा आराजी खसरा नंबर 780 रकबा 2.32 है0 ग्राम मालुताना तहसील थानागाजी प्रस्तुत किया। तहत अदालत द्वारा अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर निर्णय दिनांक 28.09.2018 द्वारा एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी। जिस निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.09.2018 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट भी पेश किया गया। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। मुख्य बहस से पूर्व अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर बहस करनी चाही।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 05 लिमिटेशन एक्ट पर अंकित किया गया है कि तहत अदालत में अपीलांटान ने अपनी ओर से पैरवी के लिये लक्ष्मण सिंह पोसवाल को एडवोकेट नियुक्त किया हुआ था। जिन्होंने अपना वकालतनामा पेश किया और एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी का पेश किया। जिस प्रार्थना पत्र पर बहस समाअंत करने के बाद तहत अदालत ने उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज फरमा दिया। उसके बाद पत्रावली वास्ते जबाव दावा प्रतिवादीगण के लिये नियत चली आ रही थी। वर्तमान पत्रावली के अतिरिक्त अपीलांट प्रतिवादीगण द्वारा 02 अन्य दावा बअनुवान हनुमान बनाम कजौड एवं कजौड बनाम हनुमान भी साथ साथ ही चल रही हैं। उसके बाद नियत पेशी दिनांक 02.11.2018 को यह पत्रावली कोर्ट में नही आई व अन्य 02 उक्त पत्रावली ही कोर्ट में पेश हुई। जानकारी करने पर रीडर साहब ने बताया कि पत्रावली इधर उधर हो गई होगी, मिलने पर तारीख लगा देंगे। बाद में वकील साहब द्वारा पत्रावली तलाश करवाने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पत्रावली में 28.09.2018 को ही निर्णय कर प्रारम्भिक डिक्री पारित की जा चुकी है। तत्पश्चात तुरन्त नकल ली जाकर अपील पेश की गई है। अतः अपील पेश करने में जो देरी हुई है, वह निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री की जानकारी नही होने के कारण हुई है, जो नेकनियति व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा म्याद में मुजरा दिये जाने योग्य है। अतः म्याद में मुजरा दिया जाकर अपील अपीलांटान अंदर अवधि शुमार फरमाई जावे।

लिखित बहस में अभिभाषक रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के संदर्भ में अंकित किया है कि निर्णय दिनांक 28.09.2018 का है व उक्त अपील दिनांक 18.02.2019 को करीब 140 दिन बाद पेश की गई है। कानूनन अपील पेश करने की मियाद 60 दिवस होती है। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी का जो कारण बताया है वह संतोषजनक, विश्वसनीय व उचित नही है। 2009 आरआरडी पेज 150 डीबी पैरा 22 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि देरी का कारण उचित, संतोषजनक, विश्वसनीय नही है तो छोटी से छोटी देरी को भी क्षमा नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की नकल

दिनांक 24.01.2019 को ही प्राप्त हो जाने के बाद भी इन्होंने 25 दिन बाद 18.02.2019 को अपील काफी विलम्ब से पेश की है। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर ही खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य बहस में दावे के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि तहत अदालत में अपीलांटान प्रतिवादीगण को तारीख पेशी आगे बताकर दिनांक 28.09.2018 की आदेशिका में काट छांट कर अपीलांट का जबाव बंद करते हुये, अपीलांटान के वकील साहब को सुनवाई का अवसर दिये बिना, बिना वादी असल रेस्पो0 की साक्ष्य लिये, असल रेस्पो0 की एकपक्षीय बहस सुन कर वादी असल रेस्पो0 का दावा दिनांक 28.09.2018 को निर्णीत कर विधि विरूद्ध मौके कब्जे व राजस्व रिकार्ड के खिलाफ स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री किया गया है, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व तथ्यों के विपरीत है। प्रथम तो अपीलांट प्रतिवादीगण को उस दिन आगामी तारीख 12.10.2018 लगा दी थी जिसे सुनकर अपीलांट प्रतिवादीगण के वकील ने अपनी फाईल व डायरी में नोट कर लिया। दूसरा अपीलांट के वकील साहब दिनांक 28.09.2018 को तहत न्यायालय में उपस्थित थे, कोर्ट की आदेशिका में वकील पक्षकारान उपस्थित अंकित है। फिर तहत अदालत में अपीलांट के वकील को सुना ही नही गया और वकील वादीगण की पीछे से एकपक्षीय बहस सुनकर तहत अदालत ने आलोच्य निर्णय कर प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी। जब उभयपक्षों के वकील उपस्थित हैं तो प्रतिवादी अपीलांट के वकील के उपस्थित रहते हुये किस तरह बिना एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये तहत अदालत ने केवल वादी असल रेस्पो0 की बहस सुनकर आलोच्य निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री पारित की है। दिनांक 02.11.2018 को कोर्ट की फाईल नही मिलने के कारण जबाव दावा व जबाव प्रार्थना पत्र फाईल में शामिल नही हो सका जो अपील के साथ पेश किया गया है। अतः उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री विधि विरूद्ध होने के कारण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की जावे।

जवाब बहस में अभिभाषक असल रेस्पो0 का लिखित बहस में कथन है कि विवादित आराजी के हम पक्षकारान सहखातेदार काश्तकार हैं, जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेश नकल हाल जमाबंदी से साबित है। विवादित आराजी अबंट होने के कारण हमने अधोनस्थ न्यायालय में विधिअनुसार धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वास्ते बंटवारा किये जाने का पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय में जबावदावा पेश करने का मौका दिये जाने के बाद भी अपीलांटस ने जबावदावा प्रस्तुत नही किया व एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे। जिस प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 06.10.2017 को खारिज कर दिया व विवादित आराजी व पक्षकारान भिन्न–भिन्न माने।जिस आदेश दिनांक 06.10.2017 की अपीलांटस ने सक्षम न्यायालय में कोई अपील/निगरानी प्रस्तुत नही की। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटस के द्वारा जबावदावा प्रस्तुत करने का बार बार मौका चाहा परन्तु जबावदावा पेश नही किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार इनका जबावदावा बंद कर दिया गया। इनका जबाव दावा दिनांक 02.11.2019 का है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय तो पूर्व में ही 28.09.2018 को हो चुका था। तो 02.11.2019 का जबावदावा अब कोई महत्व नही रखता है। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रिव्यू का प्रार्थना पेश किया जा सकता था, अधीनस्थ

न्यायालय में आदेश 09 नियम 13 का प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता था। लेकिन अपीलांट द्वारा धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपील पेश की है तो अपील में इस प्रकार के तथ्य नही उठाये जा सकते। एकपक्षीय निर्णय के विरूद्ध अपील में गुणावगुण के आधार पर ही विचार किया जावेगा। प्रोसिडिंग वगैरा का बिंदु अपील में नही उठाया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की।
2007 आरआरडी पेज 899 पैरा 11, 1990 आरआरडी पेज 20 डीबी पैरा 10, 1994 आरआरडी पेज 620 डीबी, 1992 आरआरडी पेज 427.

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2018 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के बिंदु पर अपीलांट के प्रार्थना पत्र में अंकित यह कथन कि मिसल संख्या 1/58, 1/194, 1/61 तीनों प्रकरणों में समान तारीख पेशी अंकित चली आ रही थी परन्तु निर्णीत पत्रावली 02.11.2018 को साथ नही आने पर कोर्ट शाखा से पता करने पर निर्णय दिनांक 28.09.2018 की जानकारी बाद में लगी। तहत अदालत की उक्त आदेशिकाओं से सही कथन प्रमाणित है। इसके साथ ही माननीय विभिन्न न्यायालयों का स्पष्ट सिद्धान्त व राय है कि किसी भी वाद को गुणावगुण के आधार पर निपटाया जाना चाहिये न कि तकनीकी आधार पर। इस आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

तहत अदालत की आदेशिका दिनांक 11.05.2018 से 28.09.2018 मि. नं. 1/58 बउनवान हनुमान बनाम लालाराम, मि. नं. 1/194 बउनवान कजोड बनाम हनुमान आदेशिका दिनांक 11.05.2018 से 18.01.2019 तथा मि. नं. 1/61 बउनवान हनुमान बनाम कजोड आदेशिका दिनाक 11.05.2018 से 18.01.2019 तक का अवलोकन करने पर पाया गया कि तीनों पत्रावली समान तारीख पेशी में चल रही थी। सभी में विवादित आराजीयात व पक्षकारान भी समान हैं। परन्तु मि. नं. 1/58 बउनवान हनुमान बनाम लालाराम में पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेशिका में काट–छांट की गई है व आदेश पारित किया गया है जबकि कटिंग को प्रमाणित करना आवश्यक था। जबकि शेष दो मिसलों में आगामी तारीख नियत है। जिस मिसल में कार्यवाही की गई है, उसमें भी पहले तो अग्रिम कार्यवाही में रखी गई, तत्पश्चात् बिना काट–छांट सत्यापित किये बहसी सुनी जाकर उसी दिन आदेश सुनाया गया, जबकि उपर्युक्त वर्णित तीनों मिसलों में समान आराजीयात, समान पक्षकार व कार्यवाही भी समान दिनांक में चल रही थी। इस प्रकार मि. नं. 1/58 में अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्ष रखे ही आनन–फानन में आदेश सुनाया गया है। ऐसा निर्णय पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है। इस प्रकार किये गये आदेश अविधिक हैं एवं काबिल खारिज के हैं।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.09.2018 अपास्त की जाती है। प्रकरण तहत अदालत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मि. नं. 1/58, 1/194, 1/61 तीनों प्रकरणों को संयोजित कर 03 माह की अवधि में सुनवाई का उचित

अवसर देते हुये पुनः अपना निर्णय पारित करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/2/21

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर